न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

वाद पत्र कमांकः– 22/2025

1. उर्मिला पत्नि यादराम
2. निशा
3. रजनी
4. सोनिया पुत्रियां स्व.यादराम
5. केशव पुत्र स्व. यादराम
6. रामबाबू पुत्र चन्दन समस्त निवासीयान नगला तेरहिया तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार उच्चैन।
2. भगवानसिंह दत्तक पुत्र अतरी बेवा रामखिलाडी जाति जाट निवासी नगला तेरहिया माफी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

..............प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए

उपस्थिति

1. श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट वादी

निर्णय **दिनांकः–10.04.2026**

वादी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 285/0.17है0 बाके ग्राम नगला तेरहिया खालसा तहसील उच्चैन वादिया संख्या 1 के पति यादराम व वादी संख्या 6 की बहिस्सा बराबर खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। खातेदार यादराम का दिनांक 17.09.2018 को स्वर्गवास हो गया है जिसकी 1/2 हिस्सा आराजी पर उसके जायज वारिसान वादीगण संख्या 1 लगा0 5 वादी संख्या 6 के साथ बखूबी काबिजान आराजी है। विवादित आराजी हाल ख0नं0 285 रकवा 0.17है0 का सैटिलमेंन्ट सन् 2005 से पूर्व का साविक ख0नं0 207 रकवा 1 बीघा 01 बिस्वा था जिसको वादिया संख्या 1 के पति यादराम व वादी संख्या 6 ने अतरी बेवा रामखिलाडी निवासी नगला तेरहिया माफी से जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड खरीद किया था और इस वयनामा के आधार पर दिनांक 23.08.2009 को स्वीकृत हुये नामान्तरकरण संख्या 253 के जरिये उक्त दोनों केतागण यादराम व रामबाबू पिस0 चन्दन के नाम जमाबंदी सम्बत् 2065–2068 के खाना नम्बर 11 में बहिस्साबराबर की खातेदारी का इन्द्राज हो गया और यह इन्द्राज आगे की जमाबंदी सम्बत् 2069–2072 के खाना नम्बर 4 में भी हो गया। परन्तु नये मिसल बन्दोबस्ति रिकार्ड एवं जमाबंदी सम्वत् 2074 में केतागण यादराम व रामबाबू के स्थान पर पुनः विकेती अतरी बेवा रामखिलाडी हि0 पूर्ण कौम जाट सा0 नगला तेरहिया का

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

नाम खिलाफ कानून व खिलाफ मौका दर्ज कर दिया गया है जो अवैध है। जबकि सम्बत् 2069–2072 के बाद भी जमाबंदी सम्बत् 2073–2074 में भी पूर्व रिकार्ड के अनुसार ही यादराम व वादी रामबाबू के नाम ही खातेदारी का इन्द्राज होना आवश्यक था। जब दिनांक 10.11.2021 को वादीगण संख्या 1 लगा0 5 ने मृतक यादराम की विरासत का दाखिल खारिज अपने नाम दर्ज करने बाबत् पटवारी हल्का से निवेदन किया तो उसने अवगत कराया कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 285 की खातेदारी मृतक यादराम व वादी संख्या 6 रामबाबू के नाम दर्ज नहीं है बल्कि इसकी खातेदारी तो विक्रेती अतरी वेबा रामखिलाडी के नाम दर्ज रिकार्ड है। वाद का कारण दिनांक 10.11.2021 को रिकार्ड के इन्द्राज गलती की जानकारी होने पर पैदा हुआ है। जिसके कारण वादीगण ने उक्त वादपत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यबाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव दावा पेश कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 253 में बाके ग्राम नगला तेरहिया खालसा ख0नं0 207 मिन रकवा 1–01 बीघा जमाबन्दी सम्बत् 2065–68 में यादराम रामबाबू पिस. चन्दन व.हि.ब. कौम जाट सा. नगला तेरहियामाफी खातेदार दर्ज है जो कि जमाबन्दी संवत् 2069–2072 में खाता संख्या 95 ख0नं0 504/207 रकवा 1–01बीघा यादराम रामबाबू पि. चन्दन व.हि.ब. कौम जाट सा. नगला तेरहियामाफी खातेदार दर्ज है जिसकी हाल ख.नं. 285 रकवा 0.17है0 है। मिसल बन्दोबस्त जमाबन्दी आधार वर्ष 2074 में खाता संख्या 4 पर पुराना ख0नं0 207 रकवा 1–01बीघा नया ख0नं0 285 रकवा 0.17है0 अतरी बेवा रामखिलाडी कौम जाट सा. नगला तेरहियामाफी खातेदार दर्ज है। इसके पश्चात जमाबंदी सम्बत् 2075–78 में भी उक्त खसरा नम्बर अतरी पत्नि रामखिलाडी हि. पूर्ण कौम जाट सा. नगला तेरहियामाफी के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2069–2072 के अनुसार जमाबंदी संवत् 2075–78 में खाता सं0 3 पर ख.नं. 285 रकवा 0.17है0 में अतरी पत्नि रामखिलाडी कौम जाट सा. नगला तेरहियामाफी के स्थान पर यादराम रामबाबू पिस. चन्दन व.हि.ब. कौम जाट सा. नगला तेरहियामाफी के नाम दर्ज किया जाना उचित है जिसमें खातेदार यादराम पुत्र चन्दन कौम जाट नि. नगला तेरहियामाफी की मृत्यू हो चुकी है जिसके वारिसान उर्मिला पत्नि यादराम निशा रजनी सोनिया पुत्रीयान यादराम केशव पुत्र यादराम है। वादपत्र के समर्थन में स्वंय वादी संख्या 6 रामबाबू एवं किशनसिंह पुत्र गोरधन सिंह के द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये है।

अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी के द्वारा बादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 285/0.17है0 बाके ग्राम नगला तेरहिया खालसा तहसील उच्चैन वादिया संख्या 1 के पति यादराम व वादी संख्या 6 की बहिस्सा बराबर खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। विवादित आराजी हाल ख0नं0 285 रकवा 0.17है0 का सैटिलमेंन्ट सन् 2005 से पूर्व का साविक ख़0नं0 207 रकवा 1 बीघा 01 बिस्वा था जिसको वादिया संख्या 1 के पति यादराम व वादी संख्या 6 ने अतरी बेवा रामखिलाडी निवासी नगला तेरहिया माफी से जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड खरीद किया था और इस वयनामा के आधार पर दिनांक 23.08.2009 को स्वीकृत हुये नामान्तरकरण संख्या 253 के जरिये उक्त

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

दोनों केतागण यादराम व रामबाबू पिस0 चन्दन के नाम जमाबंदी सम्बत् 2065–2068 के खाना नम्बर 11 में बहिस्साबराबर की खातेदारी का इन्द्राज हो गया और यह इन्द्राज आगे की जमाबंदी सम्बत् 2069–2072 के खाना नम्बर 4 में भी हो गया। परन्तु नये मिसल बन्दोबस्ति रिकार्ड एवं जमाबंदी सम्वत् 2074 में केतागण यादराम व रामबाबू के स्थान पर पुनः विकेती अतरी बेवा रामखिलाडी हि0 पूर्ण कौम जाट सा0 नगला तेरहिया का नाम खिलाफ कानून व खिलाफ मौका दर्ज कर दिया गया है जो अवैध है। जमाबंदी सम्बत् 2069–2072 के बाद भी जमाबंदी सम्बत् 2073–2074 में भी पूर्व रिकार्ड के अनुसार ही यादराम व वादी रामबाबू के नाम ही खातेदारी का इन्द्राज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, शपथ पत्र एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत् 2065–68, 2069–2072, 2075–78 एवं तहसीलदार उच्चैन के द्वारा प्रस्तुत जबाव का अवलोकन किया गया। उक्त प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है हाल जमाबंदी सम्बत् 2075–78 में केता रामबाबू यादराम पिस. चन्दन के स्थान पर बिकता अतरी बेवा रामखिलाडी का नाम सहबन से दर्ज कर दिया गया है। जबकि हाल जमाबंदी में भी नामान्तरकरण 253 के आधार पर रामबाबू यादराम पिस. चन्दन का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज होना चाहिए था। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा अपने जबाव में अतरी बेवा रामखिलाडी के स्थान पर वादी संख्या 6 रामबाबू एवं यादराम के वारिसान वादी संख्या 1 लगा0 5 का नाम दर्ज किये जाने की अभिशंषा की है। वादपत्र वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैः–

वादपत्र वादीगण डिक्री किया जाता है। वादीगण को विवादित आराजी खसरा नम्बर 285/0.17 बाके ग्राम नगलातेरहियाखालसा तहसील उच्चैन में सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि अतरी पत्नि रामखिलाडी का नाम कलमजन कर उनके स्थान पर वादीगण का नाम मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 10.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसौलिया (आर0ए0एसं0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

डिगरी व मुक़दमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम उच्चैन

व इजलास श्री सुरेन्द्र कुमार [illegible] (R.A.S.)

उर्मिला बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत् ....

मुकदमा नं. 22/2025 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू [illegible]

व हाजरी श्री दुलीचंद शर्मा एडवो0 मिनजानिब ....

.... मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि वादपत्र वादीगण डिक्री किया जाता है। वादीगण को विवादित आराजी ख0नं0 285/0.17 वाके ग्राम [illegible] खालसा तह0 उच्चैन में सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तह0 उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि [illegible] राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम मुताबिक हिस्सा राजस्व नाम [illegible] कर उनके स्थान पर रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे

आज.......... मुबलिग.......... बाबत्..........

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयावी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 04 वर्ष 2026 को जारी की गई।

दस्तखत [signature] सहायक कलक्टर

ओहदा उच्चैन (भरतपुर)

मुहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील)पर..........		
महनताना वकील)पर..........			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

वाद पत्र कमांकः— 22/2025

1. उर्मिला पत्नि यादराम
2. निशा
3. रजनी
4. सोनिया पुत्रियां स्व.यादराम
5. केशव पुत्र स्व. यादराम
6. रामबाबू पुत्र चन्दन समस्त निवासीयान नगला तेरहिया तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार उच्चैन।
2. भगवानसिंह दत्तक पुत्र अतरी बेवा रामखिलाडी जाति जाट निवासी नगला तेरहिया माफी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

..............प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)